फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 12.06.2024

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 108/24 धारा- 379/411 भादवि व धारा- 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 108/24 धारा 379/411 भादवि व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त देवा पुत्र ओमकार निवासी नगला सेठ थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय पेशी कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. चालक देवा पुत्र ओमकार निवासी नगला सेठ थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- श्री संजय प्रताप सहायक भू वैज्ञानिक खनन अधिकारी मय हमराह पुलिस बल के अवैध खनन की सूचना पर गंगा नदी ढाईघाट पुल के पास पहुँचे तो एक ट्रैक्टर स्वराज चोरी से मिट्टी खनन कर ले जा रहा था जिसको रोककर चेक किया गया तो चालक के पास कोई वैद्य प्रपत्र न मिलने पर ट्रैक्टर ट्रॉली मय चालक देवा उपरोक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर सीजर तैयार किया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री संजय प्रताप सहायक भू वैज्ञानिक अधिकारी खनन फर्रूखाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 108/2024 धारा- 379/411 भादवि बनाम 1. वाहन स्वामी मनोज कुमार पुत्र नामालूम निवासी न्यू कॉलोनी रेलवे रोड़ कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 2. किसान पातीराम पुत्र श्रीराम निवासी कासिमपुर तराई (हरसिंहपुर) थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ 3. चालक देवा पुत्र ओमकार निवासी नगला सेठ थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ के विरूद्ध दिनांक 11.06.2024 को पंजीकृत कर धारा- 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण:- देवा पुत्र ओमकार निवासी नंगला सेठ थाना शमसाबाद ने पूछने पर बताया कि मैं और मनोज कुमार पार्टनरी में मिट्टी खोदकर चोरी से बेचते हैं और जो भी पैसा आता है उसे हम बराबर बराबर बांट लेते हैं। किसान पातीराम पुत्र श्रीराम निवासी कासिमपुर तराई (हरसिंगपुर) थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद के खेत से मिट्टी उठाने की परमीशन निरस्त हो गयी थी लेकिन हम लोग किसान की बिना अनुमति के चोरी करके उसके खेत से मिट्टी खोदकर ट्रॉली में भरकर ले जा रहा थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त देवा उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0- 108/2024 धारा- 379/411 भादवि व धारा- 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

कार्यवाही करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम -

1. SO श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 शिवकान्त तिवारी
3. का0 विकास कुमार
4. का0 करतार सिंह
5. का0 मौ0 नबी

मीडिया सेल फतेहगढ़।